

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।  
पत्रांक 3384/ओबरा/15 मू0ह0 दिनांक- 8-5-2019.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

**विषय:-** जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** सहायक वन महानिरीक्षण, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अग्नि विंग, पंचम तल, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-07/2019-एफसी, दिनांक-25.03.2019, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या मा0स0 39/ 14-2-2019-800/(162)/2018 दिनांक-29.03.2019 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-1876/11-सी-एफपी0 /यू0पी0/आई0एन0डी0 /23246/2016 दिनांक-01.04.2019.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया, सहायक वन महानिरीक्षण, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अग्नि विंग, पंचम तल, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-07/2019-एफसी, दिनांक-25.03.2019 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर आपत्ति लगायी गयी है। जिसका बिन्दुवार निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-3104/ओबरा/15 मू0ह0 दिनांक-10.04.2019 द्वारा मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0, सेक्टर 128, नोएडा, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया, मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या जे0ए0एल0/लैंड/2019 दिनांक-17.04.2019 द्वारा बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण किया गया है, जिसके क्रम में सहायक वन महानिरीक्षण, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अग्नि विंग, पंचम तल, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-07/2019-एफसी, दिनांक-25.03.2019 द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

| क्र0स0 | आपत्ति   | निराकरण   |
|--------|--|---|
| 1      | 2  | 3   |
| 1      | The recommendations of the DFO, CF & Principal Secretary (Forests) have not been uploaded on the forest clearance web portal in respect of said project. | प्रभागीय वनाधिकारी का रिकमपेंडेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। |

| 1 | 2   | 3   |
|---|---|---|
| 2 | The purpose wise breakup of the forest land proposed for diversion has not been given   | प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि का विवरण प्रेषित किया गया है, जिसकी चार प्रति संलग्न कर प्रेषित है।  |
| 3 | Out of total 115.874 Ha. area, as provided by the state Government for compensatory afforestation land, after analysis through DSS, It is found that the approximately 26 Ha. of CA land is falling in water bodies. Thus, an additional CA are of 26Ha. may be provided. | <p>अतिरिक्त सी०ए० के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र संख्या- एफ०नं० 11-2143/2011 एफ०सी० दिनांक -08.11.2017 द्वारा निम्नलिखित गाईड लाईन जारी किया गया है:-</p> <p>“The following amendment is made in 3.2(i) and explanation 2 is added as under -</p> <p>(i) The purpose of compensatory afforestation (CA) is to compensate the loss of ‘land by land’ and loss of ‘trees by trees’.</p> <p>(ii) For compensatory afforestation the number of plants to be planted over compensatory afforestation land shall be at least 1000 plants per hectare of forest land diverted.</p> <p>(iii) If the requisite number of plants @1000/ha can not be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State Government will intimate to the MOEF&amp;CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedling will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting these seedlings.”</p> <p>उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण हेतु 26हे० क्षेत्र चयनित कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र व जियोरिफरेन्सड मानचित्र तथा सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट चार प्रति में संलग्न कर प्रेषित है।</p> |

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(मूल चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।